भाग 1

उद्देश्यों की प्राप्ति

उद्देश्यों की प्राप्ति

1.1 सिचाई क्षमता का निर्माण और उपयोग

16 राष्ट्रीय परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता के निर्माण का लक्ष्य	**35.58 लाख हेक्ट.**
कार्यान्वयन के अंतर्गत पांच राष्ट्रीय परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता के निर्माण का लक्ष्य	**25.10 लाख हेक्ट.**
पांच राष्ट्रीय परियोजनाओं से निर्मित कुल सिंचाई क्षमता	**14.53 लाख हेक्ट.**
पांच राष्ट्रीय परियोजनाओं से कुल सिंचाई क्षमता का उपयोग	**5.36 लाख हेक्ट.**

मार्च 2017, के अनुसार, 25.10 लाख हेक्टेयर के अनुमानित सिंचाई क्षमता (आई.पी.) के साथ 16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से केवल पांच परियोजनाएं कार्यान्वयन में थी। 10.48 लाख हेक्टेयर के अनुमानित आई.पी. के शेष 11 परियोजनाओं को अभी शुरु किया जाना बाकी है। कार्यान्वयव के अंतर्गत पांच परियोजनाओं में केवल 5.36 लाख हेक्टेयर (37 प्रतिशत) का उपयोग किया जा रहा है जबकि 14.53 लाख हेक्टेयर आई.पी. का निर्माण किया गया है। चालू पांच परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता के निर्माण और उपयोग की स्थिति को नीचे चार्ट 1 में दर्शाया गया है:-

चार्ट 1: पांच परियोजनाओं के लिए सिंचाई क्षमता की स्थिति (परिकल्पित, निर्मित, प्रयुक्त)

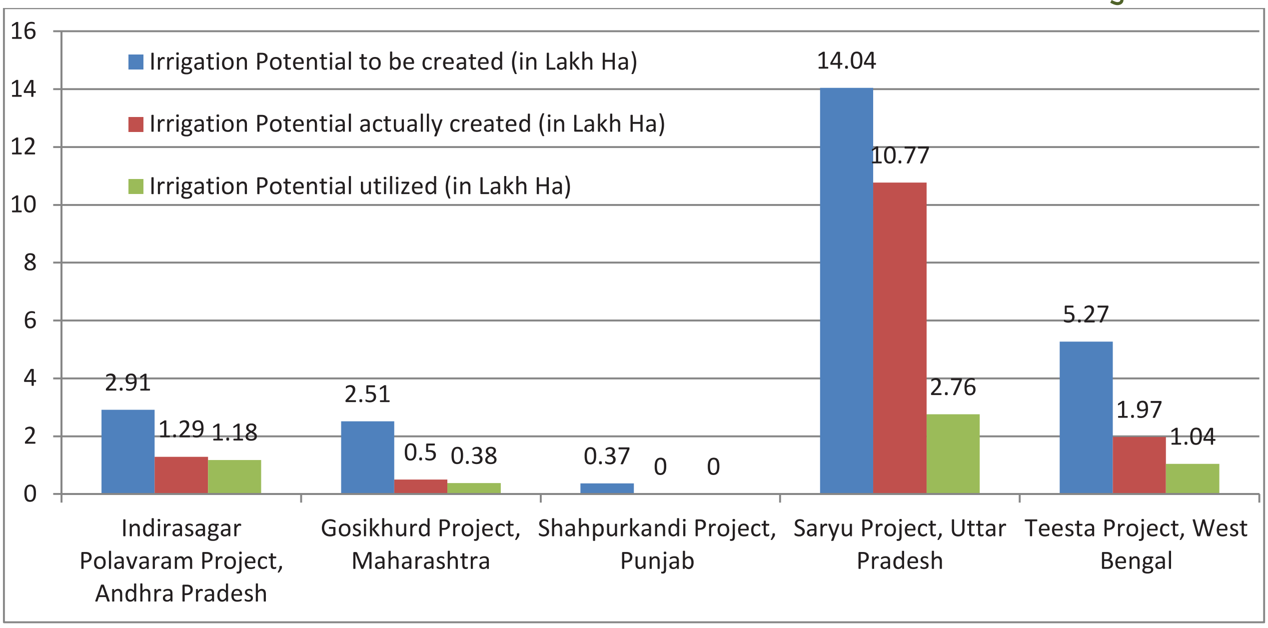

इस प्रकार, सरयू परियोजना अकेले कुल सिंचाई क्षमता का 74 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है और यह कार्यन्वयन के तहत शेष चार परियोजनाओं में नगण्य है। इस प्रकार, आंध्र प्रदेश में इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना को छोड़कर कोई भी परियोजना अनुमानित आई.पी. के 20 प्रतिशत से अधिक का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। खेतों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतिम वितरणों के निर्माण के लिए कमांड एरिया विकास कार्य के समान स्तर पर कार्यान्वयन की अनुपस्थिति और परियोजनाओं के संरचनाओं और कनेक्टिविटी में अंतराल के कारण निर्मित क्षमता का उपयोग कम था।

मंजूरी के विभिन्न चरणों में मौजूद 11 परियोजनाओं की स्थिति नीचे तालिका 3 में दी गई है-

तालिका 3: मंजूरी के विभिन्न चरणों में 11 परियोजनाओं का विवरण (मार्च 2017)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संबंधित राज्य (नदी)	सिंचाई क्षमता (लाख हेक्टेयर)	परियोजना की अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजना की वर्तमान स्थिति
1.	लखवार परियोजना	उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश (यमुना)	0.34	3,966.51	निवेश मंजूरी फरवरी 2016 में दी गई। सी.ए. को अभी जारी किया जाना बाकी है क्योंकि अंतर-राज्य समझौते को अंतिम रुप नहीं दिया गया है।
2.	केन-बेतवा परियोजना	मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश (केन बेतवा, यमुना)	6.35	18,057.08	जून 2017 में वन मंजूरी के अधीन निवेश मंजूरी प्रदान की गई।
3.	रेणुका बाँध परियोजना	एचपी (गिरी और य़मुना)	-	4,596.76	लंबित वन मंजूरी के कारण निवेश मंजूरी को अभी दिया जाना बाकी है।
4.	कुल्सी बाँध परियोजना	असम (कुल्सी)	0.21	1,139.27	जून 2014 से सी.डब्ल्यू.सी. में परियोजना के डी.पी.आर. का मूल्यांकन किया जा रहा है।
5.	नोआ दिहिंग परियोजना	अरुणाचल प्रदेश (नोआ-दिहिंग)	0.04	1,086.06	अक्टूबर 2014 से सी.डब्ल्यू.सी. में परियोजना के डी.पी.आर. का मूल्यांकन किया जा रहा है।
6.	बर्सर एचई परियोजना	जम्मू कश्मीर (चेनाब और सिंधु)	1.74	16,839.90	जनवरी 2017 से सी.डब्ल्यू.सी. में परियोजना के डी.पी.आर. का मूल्यांकन किया जा रहा है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संबंधित राज्य (नदी)	सिंचाई क्षमता (लाख हेक्टेयर)	परियोजना की अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	परियोजना की वर्तमान स्थिति
7.	किशु परियोजना	उत्तराखण्ड (टोंस और यमुना)	0.97	7,193.24	अक्टूबर 2010 से सी.डब्ल्यू.सी. में परियोजना के डी.पी.आर. का मूल्यांकन किया जा रहा है क्योंकि किशाऊ निगम ने 2010-11 के दौरान सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
8.	उझ परियोजना	जम्मू कश्मीर (उझ और रावी)	0.32	3,630.73	डी.पी.आर. को प्रारंभ में 2013 में सी.डब्ल्यू.सी. को भेजा गया था, हालांकि कमियों की वजह से इसे राज्य को वापस भेजा गया था। राज्य सरकार से संशोधित डी.पी.आर. अभी भी प्रतीक्षित है।
9.	गायस्पा एचई परियोजना	हिमाचल प्रदेश (भागा, चिनाब)	0.50	एन.ए.	राज्य सरकार द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।
10.	ऊपरी सियांग परियोजना	अरुणाचल प्रदेश (सियांग)	-	एन.ए.	राज्य सरकार द्वारा डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।
11.	दूसरा रावी परियोजना	पंजाब (रवि व्यास लिंक)	-	एन.ए.	परियोजना पूर्व व्यवहारिकता चरण में है।

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, यद्यपि दो परियोजनाओं (लखवार और केन बेतवा) को निवेश मंजूरी दी जा चुकी है, फिर भी संबंधित राज्यों के बीच लाभ साझाकरण और वित्तीय बोझ को परिभाषित करने वाले एक समझौता की कमी के कारण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की मंजूरी दी जानी बाकी है। एक परियोजना (रेणुका) में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन वन मंजूरी की कमी के कारण निवेश मंजूरी लंबित है। तीन परियोजनाओं (कुल्सी, नोआ दिहिंग, और बर्सर) में, डी.पी.आर. सी.डब्ल्यू.सी. के साथ तीन वर्ष के लिए मार्च 2017 तक जाँच के दायरे में है। शेष पांच परियोजनाएं (किशु, उझ, गायस्पा, ऊपरी सियांग और दूसरा रावी) सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत करने के लिए राज्यों

के पास लंबित है। इस प्रकार 10.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाले सभी 11 परियोजनाओं को अभी शुरु किया जाना बाकी है।

1.2 बिजली, पेयजल तथा जलाशय के लाभों की प्राप्ति

आई.पी. के निर्माण के अतिरिक्त, यह परिकल्पना की गई थी कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के परिणामस्वरुप 14.363 एम.ए.एफ.[6] की जलाशय क्षमता एवं 741.23 एम.सी.एम.[7] तक पेयजल का संवर्धन तथा 13.503 एम.डब्ल्यू.[8] तक बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी। चार्ट 2 सभी 16 परियोजनाओं के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियों के विवरण को इंगित करता है।

चार्ट 2: 16 परियोजनाओं में लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण

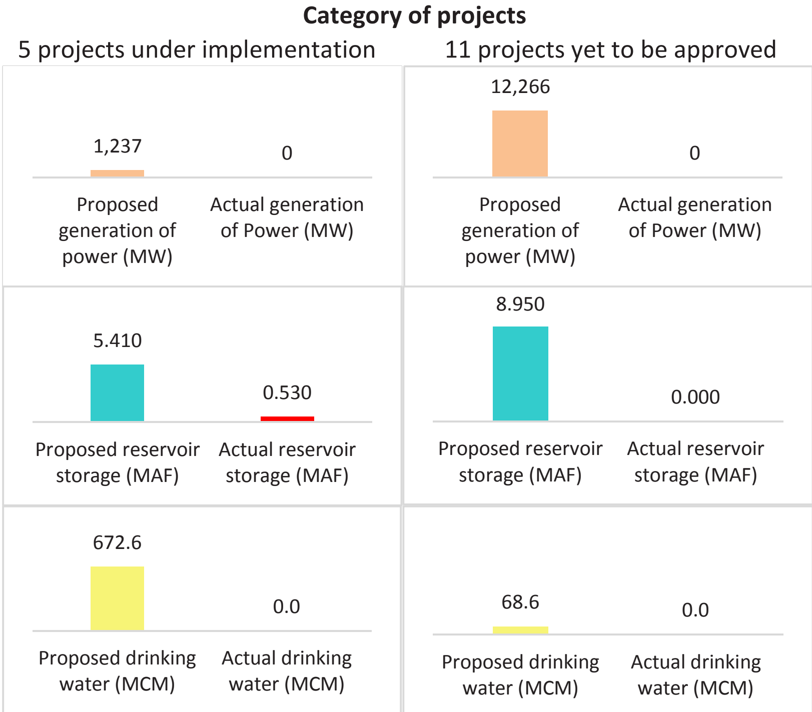

जैसा कि देखा जा सकता है, गोसीखुर्द परियोजना में 0.53 एम.ए.एफ. जलाशय क्षमता के सृजन के अलावा इन 16 परियोजनाओं द्वारा मार्च 2017 तक किसी भी परिकल्पित लाभों का प्रतिपादन नहीं किया गया।

6 मिलियन एकड़ फीट

7 मिलियन क्यूबिक मीटर

8 मेगावाट

1.3 कार्यान्वयन के अंतर्गत पांच परियोजनाओं की भौतिक प्रगति

परियोजना	***समापन के लिए समयसीमा***
शाहपुर कांडी परियोजना (पंजाब)	**मार्च 2015 (विलंबित)**
तिस्ता परियोजना (पश्चिम बंगाल)	**मार्च 2015 (विलंबित)**
इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना (आंध्र प्रदेश)	**जून 2019**
गोसीखुर्द परियोजना (महाराष्ट्र)	**दिसम्बर 2019**
सरयू परियोजना (उत्तर प्रदेश)	**मार्च 2016 (विलंबित)**

कार्यान्वयन के अंतर्गत पांच परियोजनाओं की अवस्था की संपूर्ण स्थिति निम्न के अनुसार है। नीचे दिया गया चार्ट 3, इन पांच परियोजनाओं के विभिन्न परियोजना घटकों जैसे बाँध, हेड रेगुलेटर, नहरें, कनेक्टिविटी एवं संरचनाओं के भौतिक प्रगति में प्रतिशत कमी को दर्शाता है।

चार्ट 3: विभिन्न परियोजना घटकों में भौतिक प्रगति में कमी का विवरण

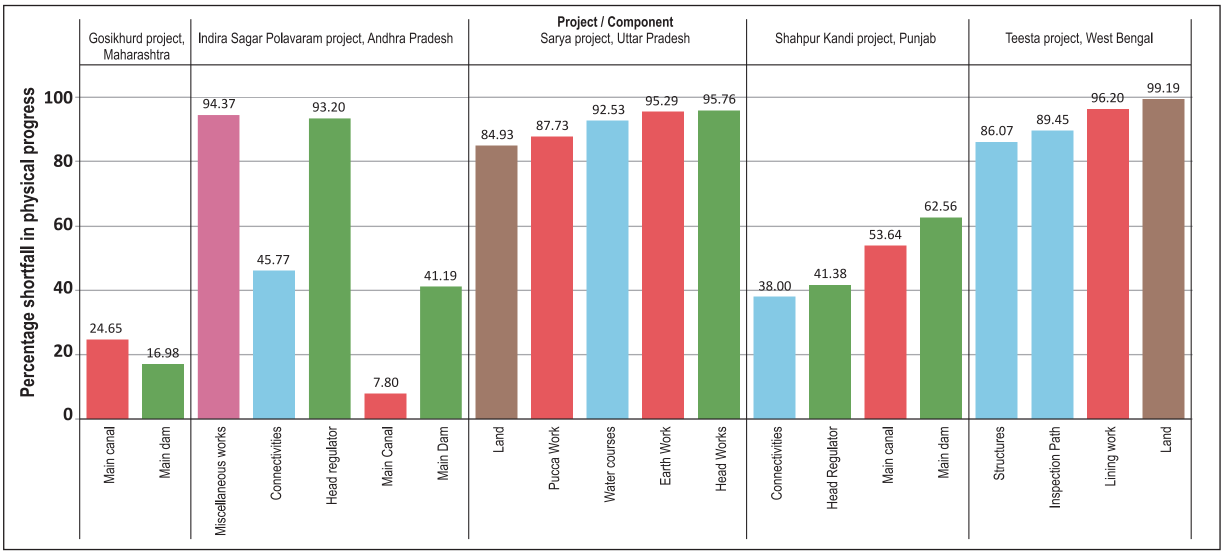

कार्यान्वयन के तहत पांच परियोजनाओं के विभिन्न घटकों में भौतिक प्रगति की कमी आठ से 99 प्रतिशत तक थी। इन परियोजनाओं की समापन की समय-सीमा के साथ घटकों की भौतिक प्रगति की तुलना करने पर हमने निम्नलिखित पाया:

क) गोसीखुर्द परियोजना (महाराष्ट्र) में, मुख्य बाँध में 17 प्रतिशत तथा मुख्य नहर में 25 प्रतिशत की कमी थी।

ख) इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना (आंध्र प्रदेश) में, पांच घटकों की कमियों में, हेड रेगुलेटर में 93 प्रतिशत की, कनेक्टिविटी में 46 प्रतिशत की, मुख्य बाँध में

41 प्रतिशत, विविध कार्यों में 94 प्रतिशत एवं मुख्य नहर में आठ प्रतिशत की कमियां शामिल हैं। मुख्य बाँध में 41.19 प्रतिशत की कमी एवं हेड रेगुलेटर में 93.20 प्रतिशत की कमी के साथ, यह प्रतीत होता है कि लक्ष्य की तारीख जून 2019 को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। अब तक परियोजना के कुल लागत ₹ 55,133 करोड़ का केवल 7.3 प्रतिशत ₹ 4,008 करोड़ खर्च किया गया था।

ग) सरयू परियोजना (उत्तर प्रदेश) में, भूमि, पक्का कार्यो, जलमार्गों, खुदाई एवं हेड कार्य में कमियां 85 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के बीच थी। समापन का मूल लक्ष्य मार्च 2016 पहले ही बीत जाने के साथ ही, और अधिक विलम्ब एवं लागत वृद्धि का खतरा था क्योंकि इसकी लागत का 43 प्रतिशत खर्च हो चुका था हालांकि पांच घटक कार्यों का 85-96 प्रतिशत अभी भी पूरा किया जाना बाकी था।

घ) शाहपुर कांडी परियोजना (पंजाब) में, मुख्य बाँध (62.56 प्रतिशत) के चार घटकों में 38 से 63 प्रतिशत के बीच, मुख्य नहर (53.64 प्रतिशत), हेड रेगुलेटर में 41.38 प्रतिशत एवं कनेक्टिविटी में 38 प्रतिशत तक कमियां थी। समापन के मूल लक्ष्य मार्च 2015 के बीत जाने के साथ, मुख्य बाँध में 63 प्रतिशत की कमी एवं मुख्य नहर में 54 प्रतिशत की कमी न केवल खराब कार्यान्वयन बल्कि और अधिक विलंब एवं लागत वृद्धि के खतरे को दर्शाता है। यह पाया गया कि मार्च 2017 तक परियोजना की कुल लागत ₹ 2,285.81 करोड़ के विपरीत केवल ₹ 26.04 करोड़ खर्च किया गया था।

ङ) तिस्ता परियोजना (पश्चिम बंगाल) में, चार घटको भूमि, लाईनिंग कार्य, निरीक्षण पथ एवं संरचनाओं में कमी 86 से 99 प्रतिशत थी। परियोजना लागत के ₹ 2,988.61 करोड़ के विपरीत केवल 9.56 प्रतिशत जो कि ₹ 285.72 करोड़ है, खर्च किया गया है।

हमने गोसीखुर्द परियोजना (महाराष्ट्र), इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना (आँध्र प्रदेश) एवं शाहपुर कंडी परियोजना (पंजाब) के संबंध में बाँध कार्य एवं नहर कार्य के समापन के बीच अंतराल पाया, जो परियोजना के विभिन्न घटकों में समन्वयन की कमी को दर्शाता है। कनेक्टिविटी में कमियों का कारण मुख्यतः अपर्याप्त भूमि अधिग्रहण, अप्रभावी राहत और पुर्नवास (आर.&आर.) उपायों एवं निगरानी की कमी जैसा कि रिपोर्ट के भाग दो में विस्तार से चर्चा की गई है।

परियोजना द्वारा निर्मित सिंचाई क्षमता के उपयोग हेतु, वितरणों एवं कनेक्टिविटी के अंतिम मील के कमांड क्षेत्र विकास (सी.ए.डी.) कार्य का पूर्ण किया जाना

आवश्यक है। राष्ट्रीय परियोजना दिशानिर्देश (2008) के अनुसार, सी.ए.डी. कार्यक्रम को परियोजना कार्यान्वयन के साथ समान स्तर पर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। सी.ए.डी. कार्यों के लिए उत्तरदायी परियोजना प्राधिकारियों को सी.ए.डी. कार्यों के वित्त पोषण के लिए एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी.&जी.आर. के विभिन्न योजना के अंतर्गत अलग से प्रस्ताव करना होगा। हमने पाया कि मार्च 2017 तक गोसीखुर्द को छोड़कर कार्यान्वयन के अंतर्गत पांचों परियोजनाओं में से किसी में भी सी.ए.डी. कार्यों के लिए प्रस्ताव सी.डब्ल्यू.सी. को नहीं भेजा गया है। सी.ए.डी. कार्यों के समान स्तर पर कार्यान्वयन की अनुपस्थिति में, आई.पी. का उपयोग नहीं किया जाएगा, भले ही परियोजना पूरी हो जाए और वांछित आई.पी. निर्मित हो जाए।

1.4 सामयिकता एवं लागत वृद्धि

पांच परियोजनाओं की प्रारंभिक लागत	**₹ 3,530 करोड़**
पांच परियोजनाओं की वर्तमान लागत	**₹ 86,172.23 करोड़**
लागत में वृद्धि	**2,341 *प्रतिशत***

नीचे दिया गया चार्ट 4 शुरू होने का वर्ष, पांच परियोजनाओं के वर्तमान संशोधन, समरूप लागत अनुमान और परिणामी लागत वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 4: पांच परियोजनाओं में लागत वृद्धि का विवरण

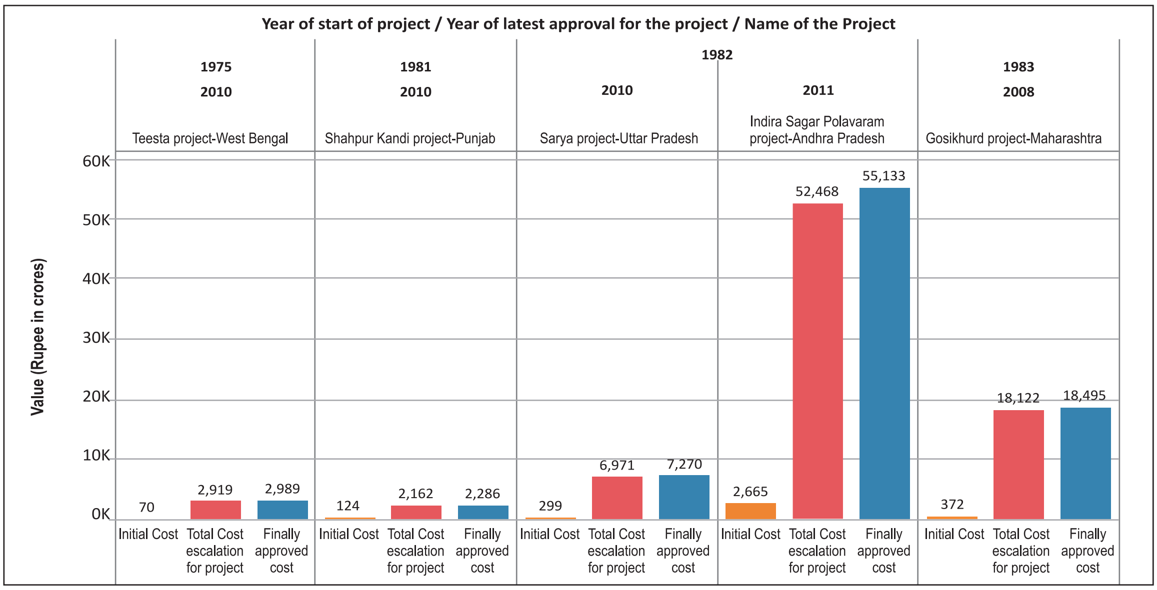

इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना और गोसीखुर्द परियोजना का अंतिम लागत सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा अभी भी स्वीकार किया जाना है।
आंकड़े पूर्ण कर दिए गए हैं, इसलिए कुल नहीं हो सकते।

सभी पांच परियोजनाओं के लिए ₹ 2,162 करोड़ से ₹ 52,468 करोड़ तक लागत में वृद्धियां हुई थी जो कुल लागत वृद्धि का 2,341 प्रतिशत दर्शाता है। पूरे वर्ष में लागत में वृद्धि हुई, जबकि अनुमानित लाभ यथावत रहे।

लाभों में आनुपातिक वृद्धि के बिना लागत में वृद्धि लाभ लागत अनुपात (बी.सी.आर.) द्वारा मापे गए। इन परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहारिकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। बी.सी.आर. को उन लाभों प्रदान करने की वार्षिक लागत[9] से सिंचाई के कारण वार्षिक अतिरिक्त लाभ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। परियोजना की आर्थिक व्यवहारिकता निर्धारित करने के लिए बी.सी.आर. आवश्यक है और आमतौर पर इसे डी.पी.आर. में शामिल किया जाता है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1 बी.सी.आर. और अन्य क्षेत्र के लिए 1.5 को आर्थिक रूप से व्यावहारिक माना जाता है।

हम लोगों ने लागत में वृद्धि के संबंध में तीन परियोजनाओं के बी.सी.आर. में परिवर्तन का विश्लेषण किया और उसे तीनों परियोजनाओं के संबंध में नीचे तालिका 4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4: लागत संशोधन सहित तीन परियोजनाओं के बी.सी.आर. का विवरण

परियोजना	संस्वीकृति वर्ष	लागत (₹ करोड़ में)	संस्वीकृत बी.सी.आर.
इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना	2009	10,151.04	1.73
	2011	16,010.45	1.70
	2017	55,132.92	अभी भी गणना की जानी है लेकिन लागत में वृद्धि के कारण बी.सी.आर. में और ह्रास होगा।
तिस्ता परियोजना	1975	69.72	2.53
	2010	2,988.61	1.52
गोसीखुर्द परियोजना	1983	372.22	1.58
	1999	2,091.13	1.53
	2016	18,494.57	अभी भी गणना की जानी है लेकिन लागत में वृद्धि के कारण बी.सी.आर. में और ह्रास होगा।

[9] वार्षिक लागत में चालू लागतों जैसे प्रचालन, अनुरक्षण एवं बिजली सहित निर्धारित लागतों जैसे परियोजना का मूल्यह्रास तथा पूंजी पर ब्याज को शामिल किया जाता है। बी.सी.आर. की गणना के लिए प्रारूप को सिंचाई परियोजनाओं (2010) के लिए डी.पी.आर. तैयार करने हेतु दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, तीन परियोजनाओं के संबंध में बी.सी.आर. एक समयावधि के बाद लागत में संशोधन के साथ कम हो गया है। गोसीखुर्द परियोजना और इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना के मामले में, सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा वर्तमान बी.सी.आर. की गणना अभी भी की जानी है लेकिन इसमें आगे कमी का स्पष्ट जोखिम है।

दो परियोजनाओं अर्थात् इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना और गोसीखुर्द परियोजना के लागत संशोधन के विश्लेषण से पता चला कि भूमि अधिग्रहण लागत, आर.&आर., विशेषकर भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के लागू होने के पश्चात लागत में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में परिवर्तनों के कारण लागतों में वृद्धि हुई थी। इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश, को 2014 में ₹ 16,010 करोड़ (2010-11 मूल्य स्तर) की लागत सहित इस योजना में शामिल किया गया था। अब राज्य सरकार द्वारा ₹ 55,133 करोड़ (2013-14 मूल्य स्तर) का संशोधित अनुमान मंजूर कर लिया गया है और सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा अनुमोदन लंबित है। 244 प्रतिशत की यह लागत वृद्धि मुख्य रूप से आर.&आर. लागत में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में गोसीखुर्द परियोजना को 2008 में राष्ट्रीय परियोजनाओं की योजना में ₹ 7,778 करोड़ (2005-06 मूल्य स्तर) पर शामिल किया गया था। अब ₹ 18,495 करोड़ (2012-13 का मूल्य स्तर) के लिए संशोधित अनुमान को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा अनुमोदन लंबित है। 138 प्रतिशत की यह लागत वृद्धि भी मुख्य रूप से काम की लागत में वृद्धि और परियोजना के दायरे में बदलाव के कारण हुई है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय परियोजना की योजना में शामिल करने के लिए पांच परियोजनाओं में लागत वृद्धि ₹ 32,802 करोड़ तक थी। हालांकि शामिल किए जाने के बाद, दो परियोजनाओं ने स्वयं ₹ 49,840 करोड़ के लागत में वृद्धि दर्ज की है। शेष तीन परियोजनाएं पहले से ही अपने स्वीकृत समापन समय को पार कर चुकी हैं और उनमें से कोई भी अभी तक पूरी नहीं हुई है तथा उन्हें भविष्य में लागत वृद्धि का जोखिम भी उठाना पड़ सकता है।

नीचे दिए गए चार्ट 5 से केंद्र (केंद्रीय सहायता) के साथ-साथ राज्यों (वचनबद्ध देयताएं) से पांच परियोजनाओं के लिए धन जारी करने में कमी की ओर संकेत मिलता है। एक वर्ष में निधि की प्रस्तावित रिलीज के विरूद्ध कमी का संकेत किया गया है। केवल उन वर्षों की ओर संकेत किया गया है जिनमें कमी पाई गई थी।

चार्ट 5: सीएफए और राज्य शेयर जारी करने में प्रतिशत कमी

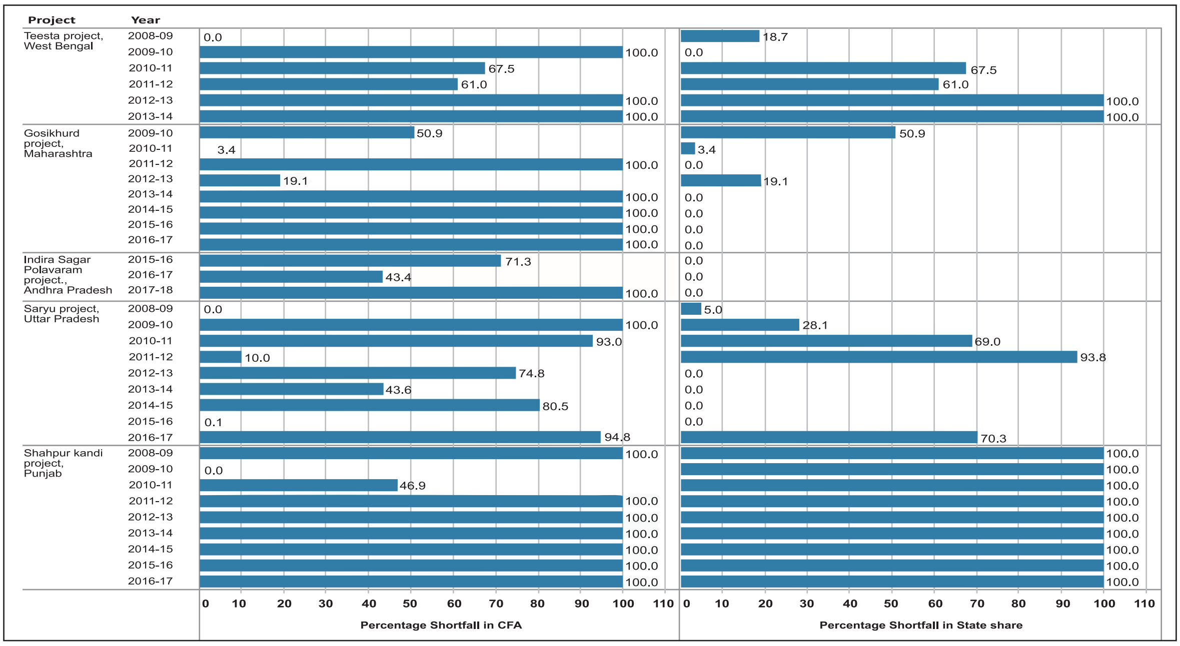

वर्ष 2008-17 की अवधि के दौरान सभी पांच परियोजनाओं के 32 उदाहरणों में केंद्रीय सहायता में 100 प्रतिशत तक की कमी पायी गई थी। इसी तरह, वर्ष 2008-17 के दौरान चार परियोजनाओं के 22 मामलों में राज्य के शेयरों को जारी करने में 100 प्रतिशत तक की कमी देखी गई थी। केंद्रीय सहायता और राज्य का शेयर जारी करने में देरी, कार्य की भौतिक प्रगति, भूमि अधिग्रहण और आर.&आर. उपायों के कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।

मंत्रालय ने कहा है (जनवरी 2018) कि लागत में वृद्धि अंतर-राज्य मामलों, भूमि अधिग्रहण और आर.&आर. के मुद्दों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जो कार्यान्वयन प्राधिकारियों के नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां ऐसे कारक हो सकते हैं जो कार्यान्वयन प्राधिकारियों के नियंत्रण से परे थे, वहीं ज्यादातर विलंब भूमि की पहचान करने, राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रगति में देरी और आर.&आर. उपायों को अंतिम रूप देने में देरी का कारण हुए थे, जिसे सम्मिलित विभिन्न अधिकारियों और एजेंसियों के बीच बेहतर एवं प्रभावी समन्वय द्वारा कम किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा परिणाम

इस प्रकार, राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन से परिकल्पित लाभ अभी भी प्राप्त किए जाने थे। जहाँ 11 परियोजनाएं शुरू हुई भी नहीं थीं, वहीं कार्यान्वयन के तहत पांच परियोजनाएं लागत और समय अतिक्रमण दोनों से प्रभावित थीं। सिंचाई क्षमता में केवल 14.53 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई थी जो मार्च 2017 तक केवल 16 परियोजनाओं के परिकल्पित आई.पी. का 41 प्रतिशत था। इसके अलावा, उपयोग किया गया 5.36 लाख हेक्टेयर आई.पी. निर्मित आई.पी. का केवल लगभग 37 प्रतिशत और 16 परियोजनाओं के लिए कुल परिकल्पित आई.पी. का मात्र 15 फीसदी था। निर्मित तथा उपयोग में लाये गये अधिकतम आई.पी. अकेले सरयू परियोजना के कारण थी तथा लागू किये गये अनय् चार परियोजनाओं से नगण्य उपलब्धि प्राप्त हुई। आगे, बांध और नहरों के बुनियादी ढांचे के निर्माण, कनेक्टिविटी और ढांचे में अंतर तथा सी.ए.डी. कार्यों के समान स्तर पर कार्यान्वयन की कमी के बीच असंतुलन भी था जो बाद में वितरिकाओं की अनुपस्थिति के कारण निर्मित आई.पी. के उपयोग को प्रभावित कर सकता है।